न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 135/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 18.9.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

मोहनलाल पुत्र सूरजमल मीणा निवासी ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।

..... अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अरविंद सिंह हाडा अभिभाषक अपीलार्थी
राजकीय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 21.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 23/2012 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान मोहनलाल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 27.8.2018 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार बांरा द्वारा दिनांक 11.6.2007 को निर्णय पारित कर अपीलांट को ग्राम खेडीजागीर तहसील बांरा की आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 2.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 720/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.08.2018 से खारिज किया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 27.08.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बांरा अपीलांट की प्रोपर तामील कराये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने तावान की राशि जमा करादी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गोर नही किया। अतः हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार बांरा द्वारा अपीलांट को प्रोपर तामील कराये बिना ही एक पक्षीय निर्णय दिनांक 11.6.2007 पारित किया है। प्रथम अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर बांरा ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलांट की अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार बांरा की पत्रावली मे उपलब्ध धारा 91 एलआरएक्ट नोटिस की तामील मुताबिक तामील कुनिन्दा स्वयं मोहनलाल अपीलांट को देकर कराई गई है। मोहनलाल बावूजद सूचना के नियत दिनांक 11.6.2007 को तहसील बांरा मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का के बयान दिनांक 11.6.2007 अनुसार अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार बांरा द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट निराधार होने से खारिज योग्य है।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा ग्राम खेडीजागीर तहसील बांरा की आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 2.40 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी रहा है। चारागाह की भूमि पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मे मिसल संख्या 33/06 निर्णय दिनांक 14.7.2006 से अपीलांट को बेदखल किया जाना प्रमाणित है इससे अपीलांट का उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट को प्रोपर तामील कराये बिना एक पक्षीय निर्णय तहसीलदार बांरा द्वारा पारित किया गया है। तहसीलदार बारां की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस की अपीलांट को प्रोपर तामील कराई गई है। अपीलांट नियत तारीख दिनांक 11.6.2007 को न्यायालय तहसीलदार बांरा मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अतः नोटिस की प्रोपर तामील कराये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित किये जाने संबधी अपीलांट का तर्क स्वीकार योग्य नही है। तहसीलदार बांरा द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। प्रथम अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर बांरा ने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 27.8.2018 से अपील अपीलांट खारिज कर परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बांरा का निर्णय दिनांक 11.6.2007 को यथावत रखा है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नही होता है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या–23/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 27.8.2018 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 21.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

21/1/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा